भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3932

दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत का उत्पादन और उपभोग

3932. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में विद्युत के उत्पादन, मांग और खपत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई भावी योजनाओं का राज्यवार, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित/अनुमोदित की हैं और यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों को घरेलू और कृषि उपयोग के लिए विद्युत नहीं मिल पा रही है जबकि देश में विद्युत उत्पादन में उक्त क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विद्युत उत्पादन, मांग और खपत में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2024-25 (अक्तूबर, 2024 तक) के दौरान ऊर्जा उत्पादन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2024-25 (अक्तूबर, 2024 तक) के दौरान ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा की आपूर्ति (राजस्थान सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध-II** पर है।

(ख) और (ग) : 20वें विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण (ईपीएस) की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वर्ष 2031-32 में देश की विद्युत की उच्चतम मांग 388 गीगावाट रहने का अनुमान है। राजस्थान के साथ-साथ इस विद्युत मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. उत्पादन योजना:

(i) वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 900 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों- कोयला, लिग्नाइट आदि, नवीकरणीय स्रोतों- सौर, पवन, जलविद्युत, पंप भंडारण परियोजना (पीएसपी) और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से प्राप्त क्षमता शामिल है।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित उच्चतम मांग से अधिक रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी **"संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)"** तैयार की हैं, जो 10 वर्षीय गतिशील रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय योजना भी शामिल है।

(iii) सभी राज्यों को सलाह दी गई कि वे अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता के सृजन/अनुबंध की प्रक्रिया आरंभ करें।

(iv) विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है:

(क) विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के परामर्श से, वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 80,000 मेगावाट की तापविद्युत क्षमता संवर्धन संबंधी योजना की परिकल्पना की है। इस लक्ष्य की तुलना में, 29,200 मेगावाट तापविद्युत क्षमता पहले से ही निर्माणाधीन है, जबकि 51,520 मेगावाट योजना और विकास के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 13,997.5 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएँ और 6,050 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। 24,225.5 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएँ और 50,760 मेगावाट की पीएसपी योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इसे वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 7,300 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और इसे 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

2. पारेषण योजना: अंतर-राज्यीय और अंत: राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के अनुरूप समय-सीमा में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

राजस्थान में कई सबस्टेशनों पर ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरी होने की संभावना है, जैसे- फतेगढ़-3 (5500 एमवीए), बीकानेर (1500 एमवीए), कोटपूतली (500 एमवीए), बीकानेर II (2500 एमवीए), बीकानेर (पीजी) (1500 एमवीए), फतेहगढ़-2 पीएस (500 एमवीए), भादला-2 पीएस (1500 एमवीए), केपीएस 3 (जीआईएस) (1500 एमवीए), सीकर-II (300 एमवीए), भादला III (8500 एमवीए), रामगढ़ पीएस (4500 एमवीए), दौसा (300 एमवीए), बीकानेर-III पूलिंग स्टेशन (11500 एमवीए), सिरोही (300 एमवीए), बाड़मेर-I पूलिंग स्टेशन (5500 एमवीए), बीकानेर-IV पूलिंग स्टेशन (1200 एमवीए), बियावर (300 एमवीए), नीमराना-II (600 एमवीए) और फतेहगढ़-4 (1100 एमवीए)।

3. वितरण प्रणाली योजना:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीम के माध्यम से देश की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 1.85 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया। भारत सरकार ने अब वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से दिनांक 20 जुलाई, 2021 को "संसोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस)" की शुरूआत की है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये का सकल बजटीय समर्थन प्राप्त है। आरडीएसएस के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण अवसंरचना कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.77 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ख) वर्ष 2030 तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए वितरण अवसंरचना की आवश्यकता के महत्व को समझते हुए, सीईए द्वारा वर्ष 2029-30 तक की वितरण परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

4. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन:

(क) भारत ने वर्ष 2031-32 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 5,00,000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। 5,00,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना को चरणबद्ध तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अनुरूप लागू किया जा रहा है।

(ख) सौर, पवन, पंप स्टोरेज संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से विद्युत उत्पादन के पारेषण पर आईएसटीएस शुल्क की छूट दी गई है।

(ग) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व प्रक्षेप पथ।

(घ) हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना।

(ङ) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।

राजस्थान सहित देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-III** पर है।

(घ) एवं (ङ) : विद्युत एक समवर्ती विषय होने से, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से उचित मात्रा में विद्युत की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकार और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके और उनसे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आबंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

भारत सरकार ने अक्तूबर, 2024 से मार्च, 2025 तक सर्दियों के महीनों के लिए राजस्थान को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के उत्तरी क्षेत्र के गैर-आबंटित पूल से 18.3% (लगभग 238.5 मेगावाट) विद्युत आबंटित की है। इसके अलावा, राजस्थान की विद्युत आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान समय-समय पर केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के गैर-आबंटित क्षेत्रीय विद्युत पूल से राजस्थान को अतिरिक्त विद्युत आबंटित की है ताकि राज्य निम्नलिखित विवरण के अनुसार विद्युत मांग को पूरा कर सके:

(i) दिनांक 01.04.2024 से 30.06.2024 तक आबंटित 150 मेगावाट;

(ii) दिनांक 26.06.2024 से 10.11.2024 तक आबंटित 400 मेगावाट;

(iii) दिनांक 11.07.2024 से 30.09.2024 तक आबंटित 500 मेगावाट;

(iv) दिनांक 07.08.2024 से 31.10.2024 तक आबंटित 265 मेगावाट;

(v) दिनांक 01.10.2024 से 31.12.2024 तक आबंटित 200 मेगावाट; और

(vi) दिनांक 16.10.2024 से 31.03.2025 तक आबंटित 300 मेगावाट।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3932

अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2024-25 (अक्तूबर, 2024 तक) के लिए ऊर्जा उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अक्तूबर, 2024 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17	158	152	253	375	239
आंध्र प्रदेश	76,936	66,883	74,198	81,702	90,081	54,625
अरुणाचल प्रदेश	1,788	3,453	4,163	4,846	4,281	3,220
असम	8,089	6,021	8,399	9,154	9,429	6,051
बिहार	35,720	34,093	44,180	55,489	58,704	36,162
छत्तीसगढ़	1,19,337	1,36,668	1,43,213	1,44,840	1,65,187	97,290
दिल्ली	6,439	5,731	5,408	4,314	4,484	3,662
गोवा	1	1	17	20	68	38
गुजरात	1,24,666	1,21,859	87,887	95,018	1,35,399	96,299
हरियाणा	18,051	15,657	24,103	33,559	29,849	20,769
हिमाचल प्रदेश	43,002	39,633	38,504	41,580	38,953	35,171
जम्मू और कश्मीर	18,537	17,442	17,490	17,170	16,283	13,005
झारखंड	26,247	27,469	28,916	30,800	35,985	23,557
कर्नाटक	70,777	67,393	80,568	85,189	91,469	56,826
केरल	6,271	7,830	10,932	9,935	7,360	6,274
लद्दाख	270	376	406	403	388	337
लक्षद्वीप	1	0	0	15	65	39
मध्य प्रदेश	1,29,398	1,38,085	1,43,038	1,52,021	1,64,780	95,767
महाराष्ट्र	1,45,404	1,31,805	1,53,066	1,58,994	1,69,038	99,541
मणिपुर	371	630	462	487	307	431
मेघालय	1,081	1,209	887	1,052	876	845
मिजोरम	227	193	165	266	218	244
नागालैंड	257	274	164	289	246	255
ओडिशा	49,037	62,944	66,473	71,529	73,444	43,743
पुदुचेरी	260	238	263	245	236	130
पंजाब	28,748	25,606	31,128	40,076	41,261	26,280
राजस्थान	70,291	70607	83,997	1,05,963	1,16,845	75,838
सिक्किम	11,088	10,936	11,506	11,709	8,622	1,648
तमिलनाडु	1,03,262	91,736	1,06,081	1,16,688	1,23,311	81,024
तेलंगाना	58,649	55,339	64,523	64,178	65,666	41,144
त्रिपुरा	6,121	7,059	6,340	7,086	6,360	2,965
उत्तर प्रदेश	1,29,323	1,32,669	1,43,159	1,63,447	1,65,052	1,05,766
उत्तराखंड	17,735	15,551	16,216	16,368	15,460	12,561
पश्चिम बंगाल	75,787	77,478	88,252	92,995	94,250	57,597
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	28	52	97	31	29	16
चंडीगढ़	13	10	14	13	12	6
कुल	**13,83,327**	**13,73,090***	**14,84,366**	**16,17,724**	**17,34,375**	**10,99,370**

* कोविड महामारी काल

<u>लो.स.अतारां.प्र.सं. 3932</u>

<u>अनुबंध-II (1/4)</u>

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और ऊर्जा की आपूर्ति (राजस्थान सहित) का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019				अप्रैल, 2019 - मार्च, 2020			
	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई		ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,571	1,571	0	0.0	1,732	1,732	0	0.0
दिल्ली	32,299	32,282	17	0.1	33,086	33,077	9	0.0
हरियाणा	53,665	53,665	0	0.0	54,505	54,492	13	0.0
हिमाचल प्रदेश	9,850	9,618	232	2.4	10,424	10,353	71	0.7
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	18,988	15,616	3,372	17.8	20,025	16,259	3,767	18.8
पंजाब	55,328	55,315	13	0.0	56,776	56,770	6	0.0
राजस्थान	79,815	79,626	189	0.2	81,281	81,222	58	0.1
उत्तर प्रदेश	1,17,133	1,16,149	984	0.8	1,22,549	1,21,004	1,545	1.3
उत्तराखंड	13,845	13,753	92	0.7	14,472	14,376	96	0.7
छत्तीसगढ	26,471	26,417	54	0.2	30,111	30,107	4	0.0
गुजरात	1,16,372	1,16,356	15	0.0	1,13,940	1,13,939	1	0.0
मध्य प्रदेश	76,056	76,054	2	0.0	76,172	76,172	0	0.0
महाराष्ट्र	1,58,295	1,58,157	137	0.1	1,55,167	1,55,166	0	0.0
दमन और दीव	2,558	2,558	0	0.0	2,574	2,574	0	0.0
दादरा एवं नगर हवेली	6,303	6,302	0	0.0	6,528	6,528	0	0.0
गोवा	4,295	4,292	3	0.1	4,350	4,350	0	0.0
आंध्र प्रदेश	63,861	63,804	58	0.1	65,452	65,414	38	0.1
तेलंगाना	66,489	66,427	62	0.1	68,306	68,303	3	0.0
कर्नाटक	71,764	71,695	69	0.1	72,799	72,796	3	0.0
केरल	25,016	24,898	118	0.5	26,315	26,265	50	0.2
तमिलनाडु	1,09,482	1,09,380	102	0.1	1,08,816	1,08,812	4	0.0
पुदुचेरी	2,766	2,756	10	0.3	2,847	2,846	1	0.0
लक्षद्वीप	46	46	0	0.0	46	46	0	0.0
बिहार	30,061	29,825	236	0.8	31,627	31,533	94	0.3
डीवीसी	22,745	22,372	372	1.6	22,429	22,427	2	0.0
झारखंड	8,737	8,490	247	2.8	8,941	8,872	69	0.8
ओडिशा	32,145	32,115	30	0.1	29,692	29,692	0	0.0
पश्चिम बंगाल	51,471	51,287	184	0.4	52,948	52,824	124	0.2
सिक्किम	527	527	0	0.1	554	554	0	0.0
अंडमान-निकोबार	346	323	23	6.7	346	323	23	6.7
अरुणाचल प्रदेश	869	859	9	1.1	753	749	4	0.5
असम	9,566	9,238	328	3.4	9,804	9,288	516	5.3
मणिपुर	905	895	10	1.2	924	917	6	0.7
मेघालय	1,957	1,956	2	0.1	2,112	2,064	48	2.3
मिजोरम	643	635	8	1.2	647	643	4	0.7
नागालैंड	888	795	93	10.5	814	809	5	0.7
त्रिपुरा	1,863	1,841	22	1.2	1,538	1,515	23	1.5
अखिल भारतीय	**12,74,595**	**12,67,526**	**7,070**	**0.6**	**12,91,010**	**12,84,444**	**6,566**	**0.5**

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और ऊर्जा की आपूर्ति (राजस्थान सहित) का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021				अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022			
	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई		ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,523	1,523	0	0.0	1,606	1,606	0	0.0
दिल्ली	29,560	29,555	4	0.0	31,128	31,122	6	0.0
हरियाणा	53,161	53,108	53	0.1	55,499	55,209	290	0.5
हिमाचल प्रदेश	10,186	10,130	56	0.5	12,115	12,088	27	0.2
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	19,773	17,222	2,551	12.9	19,957	18,434	1,524	7.6
पंजाब	58,445	58,377	67	0.1	62,846	62,411	436	0.7
राजस्थान	85,311	85,205	106	0.1	89,814	89,310	504	0.6
उत्तर प्रदेश	1,24,367	1,23,383	984	0.8	1,29,448	1,28,310	1,138	0.9
उत्तराखंड	13,827	13,818	8	0.1	15,521	15,426	94	0.6
छत्तीसगढ	30,472	30,449	22	0.1	31,908	31,872	35	0.1
गुजरात	1,11,622	1,11,622	0	0.0	1,23,953	1,23,666	287	0.2
मध्य प्रदेश	83,437	83,437	0	0.0	86,501	86,455	46	0.1
महाराष्ट्र	1,50,679	1,50,663	16	0.0	1,72,823	1,72,809	14	0.0
दमन और दीव	2,223	2,223	0	0.0	2,594	2,594	0	0.0
दादरा एवं नगर हवेली	5,497	5,497	0	0.0	6,839	6,839	0	0.0
गोवा	4,083	4,083	0	0.0	4,448	4,448	0	0.0
आंध्र प्रदेश	62,080	62,076	4	0.0	68,413	68,219	194	0.3
तेलंगाना	66,998	66,994	4	0.0	70,539	70,523	16	0.0
कर्नाटक	68,851	68,831	19	0.0	72,437	72,417	20	0.0
केरल	25,118	25,102	16	0.1	26,579	26,570	9	0.0
तमिलनाडु	1,01,194	1,01,189	5	0.0	1,09,816	1,09,798	18	0.0
पुदुचेरी	2,644	2,644	0	0.0	2,894	2,893	1	0.0
लक्षद्वीप	56	56	0	0.0	56	56	0	0.0
बिहार	34,171	34,018	153	0.4	36,216	35,761	455	1.3
डीवीसी	21,368	21,368	0	0.0	23,741	23,736	4	0.0
झारखंड	9,953	9,675	278	2.8	11,148	10,590	558	5.0
ओडिशा	29,848	29,848	0	0.0	38,339	38,332	7	0.0
पश्चिम बंगाल	51,644	51,543	100	0.2	54,001	53,945	57	0.1
सिक्किम	546	546	0	0.0	610	609	0	0.0
अंडमान-निकोबार	346	323	23	6.7	335	327	8	2.3
अरुणाचल प्रदेश	719	714	5	0.7	875	874	1	0.1
असम	10,192	9,815	377	3.7	10,844	10,825	19	0.2
मणिपुर	974	969	5	0.5	1,019	1,018	1	0.1
मेघालय	2,031	2,005	26	1.3	2,256	2,243	13	0.6
मिजोरम	728	723	4	0.6	656	644	12	1.8
नागालैंड	826	822	4	0.5	852	851	1	0.1
त्रिपुरा	1,484	1,481	3	0.2	1,578	1,578	0	0.0
अखिल भारतीय	**12,75,534**	**12,70,663**	**4,871**	**0.4**	**13,79,812**	**13,74,024**	**5,787**	**0.4**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3932

अनुबंध-II (3/4)

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और ऊर्जा की आपूर्ति (राजस्थान सहित) का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई		ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0.0	1,789	1,789	0	0.0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0.0	35,501	35,496	5	0.0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0.0
राजस्थान	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.7
छत्तीसगढ	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	1,39,043	1,38,999	44	0.0	1,45,768	1,45,740	28	0.0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2
महाराष्ट्र	1,87,309	1,87,197	111	0.1	2,07,108	2,06,931	176	0.1
दमन और दीव दादरा एवं नगर हवेली	10,018	10,018	0	0.0	10,164	10,164	0	0.0
गोवा	4,669	4,669	0	0.0	5,111	5,111	0	0.0
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0.0	84,623	84,613	9	0.0
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0.0	94,088	93,934	154	0.2
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0.0
तमिलनाडु	1,14,798	1,14,722	77	0.1	1,26,163	1,26,151	12	0.0
पुदुचेरी	3,051	3,050	1	0.0	3,456	3,455	1	0.0
लक्षद्वीप	64	64	0	0.0	64	64	0	0.0
बिहार	39,545	38,762	783	2.0	41,514	40,918	596	1.4
डीवीसी	26,339	26,330	9	0.0	26,560	26,552	8	0.0
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	587	587	0	0.0	544	543	0	0.0
अंडमान-निकोबार	348	348	0	0.1	386	374	12	3.2
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0.0
असम	11,465	11,465	0	0.0	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,014	1,014	0	0.0	1,023	1,008	15	1.5
मेघालय	2,237	2,237	0	0.0	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	645	645	0	0.0	684	684	0	0.0
नागालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0.0
त्रिपुरा	1,547	1,547	0	0.0	1,691	1,691	0	0.0
अखिल भारतीय	**15,13,497**	**15,05,914**	**7,583**	**0.5**	**16,26,132**	**16,22,020**	**4,112**	**0.3**

वर्ष 2024-25 (अक्तूबर, 2024 तक) और 2023-24 के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और ऊर्जा की आपूर्ति (राजस्थान सहित) का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - अक्तूबर, 2024			
	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,360	1,360	0	0.0
दिल्ली	26,704	26,693	11	0.0
हरियाणा	47,519	47,490	29	0.1
हिमाचल प्रदेश	7,989	7,964	25	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	11,097	11,042	55	0.5
पंजाब	54,610	54,610	0	0.0
राजस्थान	65,163	64,860	304	0.5
उत्तर प्रदेश	1,11,484	1,11,188	296	0.3
उत्तराखंड	10,520	10,479	41	0.4
छत्तीसगढ	25,656	25,640	17	0.1
गुजरात	89,842	89,842	0	0.0
मध्य प्रदेश	55,921	55,841	80	0.1
महाराष्ट्र	1,14,835	1,14,777	58	0.1
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6,351	6,351	0	0.0
गोवा	3,157	3,157	0	0.0
आंध्र प्रदेश	46,477	46,475	1	0.0
तेलंगाना	48,387	48,385	2	0.0
कर्नाटक	50,019	50,018	2	0.0
केरल	18,414	18,407	8	0.0
तमिलनाडु	79,602	79,600	2	0.0
पुदुचेरी	2,206	2,205	0	0.0
लक्षद्वीप	39	39	0	0.0
बिहार	29,804	29,656	148	0.5
डीवीसी	15,539	15,536	3	0.0
झारखंड	9,355	9,286	69	0.7
ओडिशा	27,015	26,991	24	0.1
पश्चिम बंगाल	46,772	46,687	84	0.2
सिक्किम	297	297	0	0.0
अंडमान-निकोबार	248	240	8	3.4
अरुणाचल प्रदेश	601	601	0	0.0
असम	8,538	8,533	6	0.1
मणिपुर	580	579	0	0.1
मेघालय	1,128	1,128	0	0.0
मिजोरम	391	391	0	0.0
नागालैंड	570	570	0	0.0
त्रिपुरा	1,235	1,235	0	0.0
अखिल भारतीय	**10,26,642**	**10,25,379**	**1,263**	**0.1**

निर्माणाधीन तापविद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा:

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ कार्यान्वयन एजेंसी	क्षेत्र	राज्य	इकाई सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-1	660
2	यदाद्रि टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-2	800
3	खुर्जा एससीटीपीपी (टीएचडीसी)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-1	660
4	जवाहरपुर एसटीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	राज्य	उत्तर प्रदेश	यू-2	660
5	उत्तरी चेन्नई टीपीपी स्टेज-III (टैंजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-1	800
6	यदाद्री टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-1	800
7	ओबरा-सी एसटीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	राज्य	उत्तर प्रदेश	यू-2	660
8	भुसावल टीपीएस (महाजेनको)	राज्य	महाराष्ट्र	यू-6	660
9	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केन्द्रीय	झारखंड	यू-1	800
10	पनकी टीपीएस एक्सटेंशन। (यूपीआरवीयूएनएल)	राज्य	उत्तर प्रदेश	यू-1	660
11	यदाद्रि टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-4	800
12	बाढ़ एसटीपीपी स्टेज-I (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	बिहार	यू-3	660
13	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	बिहार	यू-1	660
14	उत्तरी करणपुरा एसटीपीपी (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	झारखंड	यू-3	660
15	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-2	660
16	उडानगुडी एसटीपीपी स्टेज-I (टैंजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-1	660
17	यदाद्री टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-3	800
18	खुर्जा एससीटीपीपी (टीएचडीसी)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-2	660
19	सागरदिघी टीपीपी स्टेज-III (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	राज्य	पश्चिम बंगाल	यू-5	660
20	उडानगुडी एसटीपीपी स्टेज-I (टैंजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-2	660
21	यदाद्री टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-5	800
22	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	बिहार	यू-2	660
23	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-3	660
24	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केन्द्रीय	झारखंड	यू-2	800
25	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केन्द्रीय	झारखंड	यू-3	800
26	एन्नोर एससीटीपीपी (टैंजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-1	660
27	एन्नोर एससीटीपीपी (टैंजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-2	660
28	महान यूएससीटीपीपी चरण-II (अडानी पावर)	निजी	मध्य प्रदेश	यू-3	800
29	महान यूएससीटीपीपी चरण-II (अडानी पावर)	निजी	मध्य प्रदेश	यू-4	800
30	तालचेर टीपीपी स्टेज-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-1	660
31	तालचेर टीपीपी स्टेज-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-2	660
32	लारा एसटीपीपी स्टेज-II (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	छत्तीसगढ	यू-1	800
33	एनएलसी तालाबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-1	800
34	लारा एसटीपीपी स्टेज-II (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	छत्तीसगढ	यू-2	800
35	एनएलसी तालाबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-2	800
36	एनएलसी तालाबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-3	800
37	सिंगरौली एसटीपीपी, स्टेज-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-1	800
38	डीसीआरटीपीपी एक्सटेंशन. (एचपीजीसीएल)	राज्य	हरियाणा	यू-1	800
39	सीपत एसटीपीपी, स्टेज-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	छत्तीसगढ	यू-6	800
40	सिंगरौली एसटीपीपी, स्टेज-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-2	800
	महा योग (सक्रिय रूप से निर्माणाधीन)				**29200**

निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम (कार्यकारी एजेंसी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट)
	केन्द्रीय क्षेत्र		
	एनएचपीसी		
1	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	अरुणाचल प्रदेश/असम	2000.00
2	पारबती स्टेज-II (एनएचपीसी)	हिमाचल प्रदेश	800.00
3	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एनएचपीसी)	अरुणाचल प्रदेश	2880.00
4	तीस्ता स्टेज-VI एनएचपीसी	सिक्किम	500.00
5	रंगित-IV (एनएचपीसी)	सिक्किम	120.00
6	रतले (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	850.00
	सीवीपीपीएल		
7	पाकल दुल (सीवीपीपीएल)	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	1000.00
8	किरू (सीवीपीपीएल)	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	624.00
9	क्वार (सीवीपीपीपीएल)	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	540.00
	एसजेवीएन		
10	लुहरी-I (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	210.00
11	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	66.00
12	सुन्नी बांध (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	382.00
	टीएचडीसी		
13	विष्णुगाड पीपलकोटी (टीएचडीसी)	उत्तराखंड	444.00
	एनटीपीसी		
14	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	उत्तराखंड	520.00
15	रम्माम-III (एनटीपीसी)	पश्चिम बंगाल	120.00
	उप योग: केन्द्रीय क्षेत्र		**11056.00**
	राज्य क्षेत्र		
	एपीजेनको		
16	पोलावरम (एपीजेनको/सिंचाई विभाग, आ.प्र.)	आंध्र प्रदेश	960.00
17	लोअर सिलेरू एक्सटेंशन (एपीजेनको)	आंध्र प्रदेश	230.00
	एचपीपीसीएल		
18	शोंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	450.00
19	चांजू-III (एचपीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	48.00
	केएसईबी		
20	पल्लीवासल (केएसईबी)	केरल	60.00
21	मंकुलम (केएसईबी)	केरल	40.00
	एपीजीसीएल		
22	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	असम	120.00
	बीवीपीसीएल		
23	उहल-III (बीवीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	100.00
	जेकेपीडीसी		
24	परनई (जेकेएसपीडीसी)	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	37.50
	पीएसपीसीएल		
25	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	पंजाब	206.00
	यूजेवीएनएल		
26	लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना (यूजेवीएनएल)	उत्तराखंड	300.00
	उप योग : राज्य क्षेत्र		**2551.50**
	निजी क्षेत्र		
	स्टेटक्राफ्ट		
27	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	हिमाचल प्रदेश	150.00
	जेएसडब्ल्यू		
28	कुटेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	हिमाचल प्रदेश	240.00
	उप योग : निजी क्षेत्र		**390.00**
	कुल:		**13997.50**

कार्यान्वयनाधीन पम्प भंडारण परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम (कार्यकारी एजेंसी)	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	कार्यान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट)
केन्द्रीय क्षेत्र			
	टीएचडीसी		
1	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	उत्तराखंड	1000.00
उप-योग: केन्द्रीय क्षेत्र			**1000.00**
राज्य क्षेत्र			
	एपीजेनको		
2	अपर सिलेरू पीएसपी (एपीजेनको)	आंध्र प्रदेश	1350.00
	केपीसीएल		
3	शरावती पम्प स्टोरेज परियोजना	कर्नाटक	2000.00
	टैनजेडको		
4	कुंदा पंप स्टोरेज चरण- I, II और III)	तमिलनाडु	500.00
उप-योग: राज्य क्षेत्र			**3850.00**
निजी क्षेत्र			
	ग्रीनको		
5	पिन्नापुरम (ग्रीनको एपी 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड)	आंध्र प्रदेश	1200.00
उप-योग: निजी क्षेत्र			**1200.00**
महा योग			**6050.00**

निर्माणाधीन न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	इकाई सं.	क्षमता (मेगावाट))
1	गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र	हरियाणा	यू-1 यू-2	1400
2	राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन	राजस्थान	यू-7 यू-8	1400
3	कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र	तमिलनाडु	यू-3 यू-4 यू-5 यू-6	4000
4	पीएफबीआर (भवानी)	तमिलनाडु	-	500
महा योग				**7300**

प्रशासनिक संस्वीकृति प्राप्त न्यूक्लियर क्षमता का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	इकाई सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	गोरखपुर	हरियाणा	यूनिट # 3 एवं 4	1400
2	माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना	राजस्थान	यूनिट # 1,2,3 एवं 4	2800
3	चुटका	मध्य प्रदेश	यूनिट # 1 एवं 2	1400
4	कैगा जनरेटिंग स्टेशन	कर्नाटक	यूनिट # 5 एवं 6	1400
महा योग				**7000**

****